|  |
| --- |
| Description: Description: Description: Description: Description: Description: logo nepal sarkar.pngलिखु तामाकोशी गाउँपालिका**स्थानीय राजपत्र**खण्डः ५ संख्याः१० मितिः २०७८\०६\१९ भाग–२**लिखु तामाकोशी गाउँपालिका** |

|  |
| --- |
| **स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८** |

**प्रस्तावनाः** स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम गठित स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट गरी समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७७ को दफा ४ बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाले यो कार्यविधि तर्जुमा गरेको छ ।

परिच्छेद– १

**प्रारम्भिक**

**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यो कार्यविधिको नाम लिखु तामाकोशी गाउँपालिका स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८” रहेको छ ।

 (२) यो कार्यविधि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

**२. परिभाषाः**बिषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा,–

 (क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ ।

 (ख) “समिति” भन्नाले ऐनको दफा ६५ बमोजिम गठन हुने स्थानीय राजस्व परामर्श समिति सम्झनु पर्छ

 (ग) “संयोजक” भन्नाले समितिको संयोजक सम्झनु पर्छ ।

 (घ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ ।

 (ङ) “सदस्य सचिव” भन्नाले समितिको सदस्य सचिव सम्झनु पर्छ ।

**परिच्छेद– २**

**राजस्व परामर्श समितिको कार्यक्षेत्र**

**३. समितिको कार्यक्षेत्रः** (१) ऐनको दफा ६५ उपदफा (२) मा उल्लेखित कामका अतिरिक्त समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः

 (क) आय ठेक्का बन्दोबस्त तथा राजस्व असुलीको लागि अपनाइएका विधिहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,

 (ख) राजस्व असुलीमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधानको लागि कार्यपालिकालाई सुझाव दिने,

 (ग) राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी योजना तयार गर्ने,

 (घ) राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको उपयोग सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने,

 (ङ) राजस्व परिचालनको नियमित अनुगमन तथा लक्ष्य अनुसारको राजस्व आम्दानी भए नभएको समीक्षा गरी कार्यपालिकालाई आवश्यक पृष्ठपोषण दिने,

 (च) राजस्व अभिबृद्धिका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने,

 (छ) राजस्व सुधार सम्बन्धी तयार गरिएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पहल गर्ने,

 (ज) करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने गराउने,

 (झ) उत्कृष्ट करदाताको पहिचान गरी पुरस्कृत गर्न कार्यपालिकालाई सिफारिस गर्ने,

 (ञ) प्रत्येक करका क्षेत्रमा रहेका सम्भावित करदाता र सम्भाव्य कर असुलीको विवरण अद्यावधिक गर्ने, गराउने,

 (ट) करको दायरामा नआएका करदाताहरुको अभिलेख अद्यावधिक गरी कर असुलीको लागि ताकेता गर्ने, गराउने,

 (ठ) राजस्व परिचालनका लागि समन्वय र साझेदारीका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी कार्यपालिकालाई सिफारिस गर्ने,

 (ड) राजस्वको प्रतिवेदन प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने तथा नियमित प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

 (ढ) कार्यपालिकाले तोकेका र समितिले उपयुक्त ठहर्‍याएका अन्य कार्य गर्ने ।

**परिच्छेद– ३**

**समितिका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार**

**४. संयोजकको काम, कर्तव्य र अधिकारः** संयोजकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

 (क) समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने,

 (ख) समितिको बैठकको मिति र समय तोक्ने,

 (ग) बैठकको सम्भावित कार्यसूची तय गर्ने,

 (घ) राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित अन्तर निकायगत समन्वय गर्ने,

 (ङ) समितिको प्रभावकारी कार्यसम्पादनको नेतृत्व गर्ने,

 (च) सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने,

 (छ) समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

**५. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारः** सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–

 (क) समितिको बैठकमा उपस्थित भै आफ्नो सुझाव र धारणा राख्ने,

 (ख) आफुलाई तोकिएको कार्यजिम्मेवारी निर्वाह गर्ने,

 (ग) समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

**६. सदस्य सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारः** सदस्य सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–

 (क) समितिको सचिव भई काम गर्ने,

 (ख) संयोजकसँग समन्वय गरी बैठकको कार्यसूची तयार गर्ने, प्रस्ताव तयार गर्ने र सदस्यहरुलाई पत्राचार गर्ने,

 (ग) राजस्वसँग सम्बन्धित विषयहरुमा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण गरी समितिको बैठकमा पेश गर्ने,

 (घ) गाउँपालिकाको राजस्व सुधारका लागि योजना तयारी र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजिकरण गर्ने,

 (ङ) राजस्वका आधार, दर र दायराको विश्लेषण गरी आय अनुमान तयार गर्न समितिलाई सहयोग गर्ने,

 (च) समितिलाई आर्थिक विधयेकको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने,

 (छ) समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी समितिको बैठकमा पेश गर्ने,

 (ज) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

 (झ) समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

**परिच्छेद– ४**

**समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि**

**७. समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाः** (१) समितिको बैठक संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । समितिका सदस्यमध्ये कम्तिमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिती भएमा बैठकको गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

 (२) बैठकको अध्यक्षता संयोजकले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिकाका सदस्यमध्येबाट जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

 (३) समितिको बैठकको निर्णय सर्वसम्मतीबाट हुनेछ । सर्वसम्मती हुन नसकेमा समितिका कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट गरेको निर्णय मान्य हुनेछ ।

 (४) समितिले आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

 (५) बैठकको निर्णय समितिको संयोजकले प्रमाणित गर्नेछ ।

**८. समितिको बैठक र कार्यसूचीः** (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ ।

 (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि समितिको बैठक प्रत्येक आर्थिक बर्षमा पौष १५ गतेभित्र र बैशाख १५ गतेभित्र गरी कम्तिमा दुई पटक बस्नुपर्नेछ ।

 (३) उपदफा (२) बमोजिम पौष १५ गते भित्र बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची देहायबमोजिम हुनेछः–

 (क) राजस्व प्रशासन सुधारका लागि स्वीकृत योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम अनुरुपका कृयाकलापहरु कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गर्ने,

 (ख) अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली भए नभएको समीक्षा गर्ने,

 (ग) आगामी आर्थिक वर्षको आयको प्रक्षेपण गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने,

 (घ) समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी कार्यपालिकामा सुझाव पेश गर्ने,

 (ङ) राजस्व प्रशासनको नियमित अनुगमनको नतिजा उपर छलफल गरी कार्यपालिकामा सुझाव पेश गर्ने,

 (च) समितिले आवश्यक ठानेका अन्य विषयमा छलफल गर्ने ।

 (४) उपदफा (२) बमोजिम बैशाख १५ गतेभित्र बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची देहायबमोजिम हुनेछः–

 (क) चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलनको समिक्षा गरी बाँकी अवधिमा उठ्न सक्ने राजस्वको संशोधित अनुमान तयार गर्ने,

 (ख) आगामी आर्थिक वर्षको लागि गाउँपालिकाले लगाउने कर र गैर राजस्वका दर निर्धारण गर्ने,

 (ग) कर र गैर करका दरमा हुने परिवर्तन र राजस्वको दायरा विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक आय अनुमान तयार गर्ने,

 (घ) आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्राप्त बजेट सीमा, गत आर्थिक वर्षहरुको यथार्थ आय र चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय अनुमान तयार गर्ने,

 (ङ) आगामी आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक आय सङ्कलनको न्युनतम ठेक्का अङ्क अनुमान गर्ने,

 (च) गाउँपालिकाको राजस्व परिचालन नीति तर्जुमा तथा पुनरावलोकन गर्ने,

 (छ) आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व प्रशासन सुधारको कृयाकलाप निर्धारण तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक श्रोतको अनुमान तयार गर्ने,

 (ज) आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति एवम् कर तथा गैर करका दर परिमार्जन सम्बन्धी विषयमा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गर्ने,

 (झ) आगामी आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने,

 (ञ) समितिले आवश्यक देखेका अन्य विषयमा छलफल गर्ने ।

 (ट) उल्लिखित कृयाकलापहरुको आधारमा समितिको प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने ।

**परिच्छेद– ५**

**दर निर्धारण, आय प्रक्षेपण तथा आवधिक समिक्षा गर्ने**

**९. दर निर्धारण गर्दा ध्यान दिनुपर्नेः** (१) समितिले करका दर निर्धारणका लागि सिफारिस गर्दा करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमतालाई आधार मान्नु पर्नेछ ।

 (२) गैर करका दर निर्धारणका लागि सिफारिस गर्दा वस्तु वा सेवाको लागत, सञ्चालन र मर्मत सम्भार खर्चलाई आधार मान्नु पर्नेछ ।

 (३) समितिले उपदफा (१) र (२) बमोजिम कर र गैर करको दर सिफारिस गर्दा छिमेकी स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दररेटलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।

 (४) कर तथा गैर करका दरहरु पुनरावलोकन गर्दा विगतको दरमा एकै पटक ठूलो अनुपातमा बृद्धि नहुनेगरी सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

**१०. आय प्रक्षेपण गर्नेः** (१) समितिले दफा ९ बमोजिम निर्धारण गरेको कर तथा गैर करको दर तथा उपलब्ध सूचना एवम् तथ्याङ्क अनुरुप कर तथा गैर करको आधार यकिन गरी आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गर्नुपर्नेछ ।

 (२) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक श्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रकमको अनुमान गर्दा प्राप्त भएको बजेट सीमालाई आधार मान्नु पर्नेछ ।

 (३) ऋणबाट प्राप्त हुने आयको सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षसँग भएको सम्झौतालाई आधार मान्नु पर्नेछ ।

 (४) समितिले यस दफा बाजिम आय प्रक्षेपण गर्दा जनसहभागिता र अन्तर स्थानीय तह सहयोगस्वरुप प्राप्त हुने रकमको समेत अनुमान गर्नुपर्नेछ ।

 (५) राजस्व प्रक्षेपण गर्दा अवलम्बन गर्न सकिने विधि अनुसूची १ मा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

 (६) समितिले आय प्रक्षेपणको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले समय समयमा तोकिदिए बमोजिमको एकीकृत आर्थिक सङ्केत, वर्गीकरण र व्याख्या अनुरुपको अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

**११. आयको आवधिक समिक्षा गर्नुपर्नेः** (१) समितिले कार्यपालिकाको त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा आयको वार्षिक तथा त्रैमासिक लक्ष्य र यथार्थ प्रगति विवरण तयार गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।

 (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रगति विवरणमा राजस्व नीति, सुधारमा कृयाकलाप, लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन भए नभएको र राजस्व परिचालनमा देखिएका समस्या एवम् समाधानका उपायहरु समेत समावेश गर्नुपर्नेछ ।

**१२. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिनेः** (१) समितिले आफ्नो काममा सहयोग पुग्नेगरी आवश्यकता अनुसार समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषय क्षेत्रका विज्ञ समेत समावेश भएको उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।

 (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमिति वा कार्यदलको कार्यविवरण त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाकै बखत तोकिदिनु पर्नेछ ।

 (३) यस दफा बमोजिम गठन हुने उपसमिति वा कार्यदलका सदस्यलाई कुनै किसिमको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

**परिच्छेद– ६**

**विविध**

**१३. समितिको प्रतिवेदनः** (१) समितिले आफुले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ ।

 (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने वार्षिक प्रतिवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ मा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

**१४. सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्थाः** (१) राजस्व शाखा/उपशाखा वा राजस्व सम्बन्धी काम गर्न तोकिएको एकाइले समितिको सचिवालयको रुपमा काम गर्नेछ ।

 (२) सचिवालयले समितिको निर्णय पुस्तिका सुरक्षित रुपमा राख्ने तथा यस कार्यविधि बमोजिम तयार गरिने प्रतिवेदन एवम् राजस्वसँग सम्बन्धित सूचना र तथ्याङ्कको व्यवस्थित अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

**१५. अधिकार प्रत्यायोजनः** संयोजकले आफुलाई प्राप्त अधिकार समितिका सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

**१६. बैठक भत्ताः** समितिका पदाधिकारीहरुले पाउने बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।

**१७. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः** यस कार्यविधिमा उल्लिखित कुनै कुरामा द्विविधा वा कुनै बाधा अड्काउ उत्पन्न भएमा कार्यपालिकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

अनुसूची– १

(दफा १० को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)

**राजस्व प्रक्षेपणका लागि अवलम्बन गरिने विधि**

१ तथ्याङ्कीय आधारः करदाता संख्या X करको औसत दर X दायरामा ल्याउन सकिने प्रतिशत ।

२. विगतको आय वृद्धिको प्रवृत्तिः कम्तिमा ३ देखी ५ बर्षको औषत वार्षिक वृद्धिदर निकाली अन्तिम वर्षको अनुमानित आयमा सोही प्रतिशतको आधारमा वृद्धि गर्दै जाने ।

३. विनियोजन तथा त्यसपछि एकमुष्ट (Lum Sum)वृद्धि दरः सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा अन्य निकायबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै जाने ।

४. सम्झौताको आधारः ऋण तथा अन्य आयको सम्झौता भएमा सोही सम्झौताको आधारमा आयको प्रक्षेपण गर्ने

५. अनुमानको आधारमा प्रक्षेपणः विल्कुलै नयाँ आयका स्रोतहरू भई आय अनुमानका लागि कुनै आधार उपलब्ध नभएको अवस्था प्रयोग गर्ने ।

६. शून्य प्रक्षेपणः आयको कुनै सम्भावना नभएका शिर्षकहरूमा प्रयोग गर्ने ।

अनुसूची– २

(दफा १० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)

**एकीकृत आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्या अनुसार राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान**

 **क) राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान**

| **/fhZj ;+s]t** | **/fh:jlzif{s** | **cf=j= @)==.== sf] oyfy{** | **cf=j= @)==.== sf] cg'dfg** | **cf=j= @)==.== sf] ;+;f]lwtcg'dfg** | **cf=j= @)==.== sf] cg'dfg** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10000** | **/fh:jtyfcg'bfg** |  |  |  |  |
| **11000** | **s/** |  |  |  |  |
| **11300** | **;DkQL s/** |  |  |  |  |
| **11310** | **crn ;DkQLdf nfUg] s/** |  |  |  |  |
| 11313 | *;DklQ s/* |   |   |   |  |
| 11314 | e"dL s/÷dfnkf]t |   |   |   |  |
| 11315 | 3/hUuf /lhi6«]zg b:t'/ |   |   |   |  |
| **11320** | **v'b ;DklQdf nfUg] rfn' s/** |  |  |  |  |
| 11321 | 3/ axfn s/ |   |   |   |  |
| 11322 | axfn lj6f}/L s/ |   |   |   |  |
| **11400** | **j:t' tyf ;]jfdf cfwfl/t s/** |  |  |  |  |
| **11410** | **d'Noclej[l4 s/** |  |  |  |  |
| 14411 | afF8kmfF6 eO{ k|fKtx'g] d'=c=s/  |  |  |  |  |
| **11420** | **cGtMz'Ns** |  |  |  |  |
| 14421 | afF8kmfF6 eO{ k|fKtx'g] cGtMz'Ns |   |   |   |  |
| **11450** | **k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]u tyf ;jf/L ;fwgdfnfUg] s/** |  |  |  |  |
| 11451 | ;jf/L ;fwg s/ -6fFuf, l/S;f, c6f] l/S;f, Ol/S;f\_ |  |  |  |  |
| 11452 | k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udfnfUg] s/ |  |  |  |  |
| 11456 | afF8kmfF6af6 k|fKtx'g] ;jf/L ;fwg s/  |  |  |  |  |
| **11470** | **dgf]/+hg tyf lj1fkg s/** |  |  |  |  |
| 11471 | afF8kmfF6af6 k|fKtx'g] dgf]/~hg s/ |   |   |   |  |
| 11472 | afF8kmfF6af6 k|fKtx'g] lj1fkg s/ |   |   |   |  |
| **11600** | **cGo s/** |  |  |  |  |
| **11630** | **s[lif tyf kz'hGo sf/f]jf/df nfUg] s/** |  |  |  |  |
| 11632 | cf]v]6f] kxf/df nfUg] s/ -hl8a'6L, sjf8L / lhjhGt' s/\_ |   |   |   |  |
| **11690** | **cGo s/** |  |  |  |  |
| 11691 | cGo s/ |  |  |  |  |
| **13000** | **cg'bfg** |  |  |  |  |
| **13100** | **låkIfLo j}b]lzs cg'bfg** |  |  |  |  |
| **13110** | **låkIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg** |  |  |  |  |
| 13111 | l**å**kIfLo j}b]lzsrfn" cg'bfg |   |   |   |  |
| **13120** | **låkIfLo j}b]lzs k'"hLut cg'bfg** |  |  |  |  |
| 13121 | l4kIfLo j}b]lzs k'"hLut cg'bfg |  |  |  |  |
| **13200** | **ax'kIfLo j}b]lzs cg'bfg** |  |  |  |  |
| **13210** | **ax'kIfLo j}b]lzs rfn' cg'bfg** |  |  |  |  |
| 13211 | cGt/fli6«o cGt/;/sf/L ;+:yfaf6 k|fKtrfn' cg'bfg |  |  |  |  |
| 13212 | cGt/fli6«o u}x| ;/sf/L ;+:yfaf6 k|fKtrfn' cg'bfg |  |  |  |  |
| **13220** | **ax'kIfLo j}b]lzsk"FhLutcg'bfg** |  |  |  |  |
| 13221 | cGt/fli6«o cGt/;/sf/L ;+:yfaf6 k|fKtk"FhLut cg'bfg |   |   |   |  |
| 13222 | cGt/fli6«o u}x| ;/sf/L ;+:yfaf6 k|fKt k"FhLut cg'bfg |   |   |   |  |
| **13230** | **cGo j}b]lzsrfn' cg'bfg** |  |  |  |  |
| 13231 | cGo j}b]lzsrfn' cg'bfg |  |  |  |  |
| **13240** | **cGo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg** |  |  |  |  |
| 13241 | cGo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg |  |  |  |  |
| **13300** | **cGt/ ;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f** |  |  |  |  |
| **13310** | **cGt/ ;/sf/L cg'bfg** |  |  |  |  |
| 13311 | ;dfgLs/0f cg'bfg |  |  |  |  |
| 13312 | z;t{ cg'bfg rfn' |  |  |  |  |
| 13313 | z;t{ cg'bfg k"FhLut |  |  |  |  |
| 13314 | ljif]z cg'bfg rfn' |   |   |   |  |
| 13315 | ljif]z cg'bfg k"FhLut |   |   |   |  |
| 13316 | ;dk'/s cg'bfg rfn' |   |   |   |  |
| 13317 | ;dk'/s cg'bfg k"FhLut |   |   |   |  |
| 13318 | cGo cg'bfg rfn' *-;fdflhs ;'/Iff\_* |   |   |   |  |
| 13319 | cGocg'bfgk"FhLut |   |   |   |  |
| **13400** | **cGo cfGtl/s cg'bfg** |  |  |  |  |
| **13410** | **cGo cfGtl/s cg'bfg** |  |  |  |  |
| 13411 | cGo ;+:yfut cfGtl/s cg'bfg*-;8s af]8{ g]kfn\_* |   |   |   |  |
| 13412 | cGo JolQmut cfGtl/s cg'bfg *-nfut ;xeflutf\_* |   |   |   |  |
| **14000** | **cGo /fhZj** |  |  |  |  |
| **14100** | **;DklQaf6 k|fKtcfo** |  |  |  |  |
| **14110** | **Jofh** |  |  |  |  |
| 14111 | ljQLo lgsfoaf6 k|fKtJofh |  |  |  |  |
| 14119 | cGo lgsfoaf6 k||fKtJofh |  |  |  |  |
| **14120** | **nfef+z** |  |  |  |  |
| 14129 | cGo lgsfoaf6 k||fKtnfef+z |   |   |   |  |
| **14150** | **ef8f tyf /f]oN6L** |  |  |  |  |
| 14151 | ;/sf/L ;DkQLsf] axfnaf6 k|fKtcfo |  |  |  |  |
| 14153 | afF8kmfF6 eO{ k|fKtjg /f]oN6L  |   |   |   |  |
| 14154 | afF8kmfF6 eO{ k|fKtvfgLtyfvlgh ;DaGwL /f]oN6L  |   |   |   |  |
| 14155 | afF8kmfF6 eO{ k|fKthn;|f]t ;DaGwL /f]oN6L |   |   |   |  |
| 14156 | afF8kmfF6 eO{ k|fKtljB'Q ;DaGwL /f]oN6L |   |   |   |  |
| 14157 | afF8kmfF6 eO{ k|fKtbxQ/ axQ/sf] las|Laf6 k|fKtx'g] cfo |   |   |   |  |
| 14158 | afF8kmfF6 eO{ k|fKtkj{tf/f]x0f jfktsf] /f]oN6L  |   |   |   |  |
| 14159 | cGo ;|f]taf6 k|fKt /f]oN6L |   |   |   |  |
| **14190** | **cGoz'Ns** |  |  |  |  |
| 14191 | ko{6g z'Ns |  |  |  |  |
| **14200** | **a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd** |  |  |  |  |
| **14210** | **a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd** |  |  |  |  |
| 14211 | s[ifL pTkfbgsf] lalqmaf6 k|fKt /sd |   |   |   |  |
| 14212 | ;/sf/L ;DkQL lalqmaf6 k|fKt /sd |   |   |   |  |
| 14213 | cGo lalqmaf6 k|fKt /sd -/fhkq, k':ts, gS;fcflb\_ |   |   |   |  |
| 14216 | lghLwf/f afktsf]] z'Ns |   |   |   |  |
| 14217 | vfg]kfgL, gx/ tyfs'nf] pkof]u afktsf] z'Ns |   |   |   |  |
| 14218 | ljB't\ ;]jfz'Ns |   |   |   |  |
| 14219 | cGo ;]jfz'Ns tyf laqmL -kfs{, PDj'n]G; cflb tyf afn'jf, df6f], sf7 laqmL ;d]t\_  |   |   |   |  |
| **14220** | **k|zf;lgs ;]jfz'Ns** |  |  |  |  |
| 14221 | Goflos b:t'/ |  |  |  |  |
| 14224 | k/LIffz'Ns |  |  |  |  |
| 14229 | cGok|zf;lgs ;]jfz'Ns -af]nkq, kmf/fdljqmL\_ |  |  |  |  |
| **14240** | **b:t'/** |  |  |  |  |
| 14241 | kfls{Ë z'Ns |   |   |   |  |
| 14242 | gS;fkf; b:t'/ |   |   |   |  |
| 14243 | l;kmfl/z b:t'/ -k|dfl0ft ;d]t\_ |   |   |   |  |
| 14244 | JolQmut 36gf btf{ b:t'/ |   |   |   |  |
| 14245 | gftf k|dfl0ft b:t'/ |   |   |   |  |
| 14249 | cGo b:t'/ -btf{, cg'dlt, Ohfht\_ |   |   |   |  |
| **14250** | **cGok|zf;lgs b:t'/** |  |  |  |  |
| 14253 | Joj;fo /lhi6«]zg b:t'/ |  |  |  |  |
| 14254 | /]l8of]÷Pkm=Pd= ;+rfng b:t'/ |  |  |  |  |
| **14260** | **cGok|zf;lgs ;]jfz'Ns** |  |  |  |  |
| 14262 | ljB't\ ;DaGwL b:t'/ |  |  |  |  |
| 14263 | hn;|f]t ;DaGwLcGo b:t'/ *-kfgLlas|L\_* |  |  |  |  |
| 14265 | cGo If]qsf] cfo -;fd'bfoLsjg k}bfj/ las|L af6\_ |  |  |  |  |
| **14300** | **b08, hl/jfgf / hkmt** |  |  |  |  |
| **14310** | **b08, hl/jfgf / hkmt** |  |  |  |  |
| 14311 | Goflos b08, hl/jfgf / hkmt |  |  |  |  |
| 14312 | k|zf;lgs b08, hl/jfgf / hkmt |  |  |  |  |
| 14313 | w/f}6L ;b/:ofxf |  |  |  |  |
| **14400** | **cg'bfg afx]ssf] x:tfGt/0f** |  |  |  |  |
| **14410** | **rfn' x:tfGt/0f** |  |  |  |  |
| 14411 | rfn' x:tfGt/0f |  |  |  |  |
| **14420** | **k"FhLut x:tfGt/0f** |  |  |  |  |
| 14421 | k"FhLut x:tfGt/0f |   |   |   |  |
| **14500** | **ljljw /fhZj** |  |  |  |  |
| **14510** | **rfn' bfjL tyf cGo z'Nsx?** |  |  |  |  |
| 14511 | jLdf bfjL k|fKtL |  |  |  |  |
| **14520** | **cGo /fh:j** |  |  |  |  |
| 14529 | cGo /fh:j |   |   |   |  |
| **14530** | **k"FhLut /fhZj** |  |  |  |  |
| 14531 | ;/sf/L 3/, hUuf, u'8ljn las|Laf6 k|fKt cfo |  |  |  |  |
| **14610** | **Joj;fo s/** |  |  |  |  |
| 14611 | Joj;fo s/ |  |  |  |  |
| **15000** | **Ljljw k|fKtL** |  |  |  |  |
| **15100** | **Ljljw k|fKtL** |  |  |  |  |
| **15110** | **Ljljw k|fKtL** |  |  |  |  |
| 15111 | a]?h' |  |  |  |  |
| 15112 | lgsf;f lkmtf{ |  |  |  |  |
| 15113 | cg'bfg lkmtf{ |  |  |  |  |

*नोटःअनुसूची ३ को खण्ड (ङ) र (च) को तथ्याङ्कको आधारमा तयार हुने ।*

**अनुसूची–३**

(दफा १३ को उपदफा (२)सँग सम्वन्धित)

लिखु तामाकोशी गाउँपालिका

**स्थानीय राजस्व परामर्श समितिकोवार्षिक प्रतिवेदन**

1. **पृष्ठभूमि**
2. **राजस्वको मौजुदा अवस्थाको विश्लेषण(राजस्व आम्दानीको विगत ३ देखि ५ वर्षको प्रवृत्ति विश्लेषण समेत)**
3. **राजस्व नीतिहरु(प्रस्तावित)**
4. **करका आधारहरु(गैर कर समेत)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **कर तथा गैर करको विद्यमान आधार** | **आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित आधार** | **पुस्ट्याईं** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **आगामी आ.व.को लागि प्रस्तावित कर तथा गैर कर राजस्व दर**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **सि.नं.** | **कर तथा गैर करका आधार** | **चालु आर्थिक वर्षको दर** | **प्रस्तावित दर**  | **पुष्ट्याईं** | **कैफियत** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **आगामी आ.व.को लागि अनुमानित कर तथा गैर कर राजस्व रकम**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **सि.नं.** | **राजस्वको क्षेत्रहरु** | **गत आ.व.को यथार्थ रकम** | **चालु आ.व.को संशोधित अनुमान** | **आगामी आ.व.को अनुमान** | **कैफियत** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **निष्कर्ष तथा सुझावहरु**

संयोजक ................

सदस्य .................

सदस्य .................

सदस्य .................

सदस्य .................

आज्ञाले

नामः–जयप्रकाश राय

 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत